[illegible]

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 भाद्र 1922 (श०)

(सं० पटना 327)   पटना, सोमवार, 28 अगस्त 2000

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

26 अगस्त 2000

सं० ए० जी०-1-02।2000-लेज—106—बिहार विधान मंडल द्वारा यथा पारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर राज्यपाल 24 अगस्त 2000 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है :—

[बिहार अधिनियम 7, 2000]

बिहार राज्य कोल्ड स्टोरेज विनियमन (संशोधन) अधिनियम 2000

बिहार राज्य कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम, 1992 का संशोधन करने के लिये अधिनियम।

प्रस्तावना।—बिहार राज्य के कोल्ड-स्टोरेजों को अनुज्ञप्ति देने, उनका पर्यवेक्षण और नियंत्रण करने तथा उनसे संबंधित विषयों की व्यवस्था के संबंध में उपबंध करने हेतु बिहार राज्य कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम, 1992 को संशोधित करने के लिये अधिनियम।

भारत गणराज्य के एकावनवें वर्ष में बिहार राज्य विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ।—(1) यह अधिनियम बिहार राज्य कोल्ड स्टोरेज विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2000 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं।—जबतक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो इस अधिनियम में—

(क) "कलेन्डर वर्ष" से अभिप्रेत है पहली जनवरी से इकतीस दिसम्बर तक की अवधि।

(ख) "अधिनियम" से अभिप्रेत है बिहार राज्य कोल्ड स्टोरेज विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2000।

(ग) "अधिनियम" से अभिप्रेत है बिहार राज्य कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम, 1992 (बिहार अधिनियम 17, 1992)।

3. बिहार अधिनियम 17, 1992 की धारा 29 का प्रतिस्थापन।—अधिनियम की धारा 29 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जायेगी, यथा—

धारा 29 अधिकतम प्रभार का निर्धारण:—

(1) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी समय-समय पर कोल्ड स्टोरेज में कृषि उत्पाद के भंडारण के लिये या उसके संबंध में की गई किसी अन्य सेवा के लिये अधिकतम प्रभार नियत करेगा और विभिन्न कृषि उत्पादों के लिये विभिन्न प्रभार नियत किया जा सकेगा।

(2) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी उप-धारा (1) के अधीन नियत किये गये प्रभार को कोल्ड स्टोरेज के मुख्य प्रवेश द्वार पर या उसके निकट प्रदर्शित करेगा और उसकी एक प्रति अनुज्ञप्ति अधिकारी के कार्यालय को भी प्रेषित करेगा।

(3) यदि राज्य सरकार की राय हो कि उप-धारा (1) के अधीन किसी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नियत प्रभार युक्तियुक्त अधिक है तो उप-धारा (1) के उपबंधों के होते हुए भी राज्य सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा ऐसे अनुज्ञप्तिधारी के संबंध में उप-धारा (1) प्रयोजन के लिये अधिकतम प्रभार निश्चित कर सकती है और राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार निश्चित प्रभार उस वित्तीय वर्ष जिसमें वे निश्चित किये जायें, के शेष भाग के लिये प्रभावी होंगे।

4. निरसन एवं व्यावृत्ति।—(1) बिहार राज्य कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम, 1992 (बिहार अधिनियम 17, 1992) की धारा 30 को निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी अधिनियम के द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जायेगी मानों यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गई थी।

बिहार-राज्यपालके आदेश से,
प्रशान्त कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

26 अगस्त 2000

संख्या एल० जी० 1-02/2000-लेज—107—बिहार विधान मंडल द्वारा यथा पारित और राज्यपाल द्वारा 24 अगस्त 2000 को अनुमत बिहार राज्य कोल्ड स्टोरेज विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2000 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायगा :—

[Bihar Act 7, 2000]

THE BIHAR STATE COLD STORAGE REGULATION (AMENDMENT) ACT, 2000.

AN

ACT

TO AMEND THE BIHAR COLD STORAGE REGULATION ACT, 1992

Preamble.—To amend the Bihar Cold Storage Regulation Act, 1992.

To Provide for Licensing, supervision and control over cold storages in the State of Bihar and for management of the matters connected therewith.

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Fifty 1st year of the Republic of India as follows:—

1. *Short tittle, extent and commencement.*—(1) This Act may be called the Bihar State Cold Storage Regulation (Amendment) Act, 2000.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force at once.

2. *Definitions.*—(a) In this Act unless the context otherwise requires—

(b) "Calender Year" means the time from 1st January to 31st December;

(c) "Act" means Bihar Cold Storage regulation (Amendment) Act, 2000 (Bihar Act, 17, 1992).

3. *Substitution of Section* 29 *of the* ***Bihar Act***, **17, 1992**.—In place of Section **29** of the Act the following section shall be substituted, namely :—

29. *Determination of maximum charges*.—(1) Every licensee shall, from time to time, fix the maximum charges for storing Agricultural produce in the Cold Storage or for any other service rendered in connecting therewith and different charges may be fixed for different Agricultural produce.

(2) Every licensee shall display and exhibit on or near the main entrance of the Cold Storage the charges fixed under sub-section (1) and shall also deliver a copy thereof in the office of the licensing officer.

(3) If the State Government is of the opinion that the charges fixed by a licensee under sub-section (1) is not reasonable the State Government may by a notified order fix the maximum charges for the purposes of sub-section (1) with respect to such licensee and the charges so fixed by the State Government shall be effective for the remaining part of the financial year in which they are fixed.

4. *Repeal and savings*.—(1) The Bihar Cold Storage Regulation Act, 1992 (Bihar Act 17, 1992) of Section 30 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken in exercise of any powers conferred by or under the said Act shall be deemed to have been done, or taken in exercise of powers conferred by or under this Act as if this Act, were in force on the day on which such thing was done or action taken.

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
प्रशान्त कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन, पटना द्वारा प्रकाशित तथा
अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण), 327—लाईनो—745+890—डी० बी० लाल।